Telegraph, 21/8/2015

...oman leaving the child behind on berth No. 41, coach S8 Secunderabad-Darbhanga ... morning, he was sent to Nirmal Hriday for better care."

As it is not conclusive if ... dren's homes. But abandoning children at unsafe places is inhumane," she said.

... emergency can reach ... Singh told shopkeepers, referring to the narrow Rangrez ... tomers are yours. The onus is on you to ensure cleanliness ... (FJCCI) Ratan Modi said the market needed "permanent ... prepare a plan to ensure cleanliness of drains," he said.

Pandals block entry to Town Hall veranda where Rs 5 meals are cooked & served to labourers

Book fair blow to dal-*bhat* fare

Beneficiaries of the dal-*bhat* scheme have lunch at Town Hall in Ranchi on Thursday. Picture by Hardeep Singh

ARTI S. SAHULIYAR

Ranchi Book Fair that kicks off on Friday may force poor rickshaw-pullers and daily labourers, among others, to skip their pocket-friendly lunch for the next 11 days or so.

Book fair organisers have erected pandals on the sprawling ground of Ranchi Town Hall, the premises are used to serve Rs 5 meals to BPL people under the state government's ambitious Dal Bhat Yojana launched by then chief minister Arjun Munda in 2011.

According to Sunita Devi, who is responsible for cooking and serving dal-*bhat* meals, the scheme is being run from the veranda of the Town Hall.

But the book fair organisers have set up pandals for the fair, leaving only a narrow space in front of the entrance, she rued.

"The organisers have occupied the entire ground, without sparing a thought for the poor who survive on the dal-*bhat* scheme. The narrow space left is not good enough for movement. It is creating enough problems for us," she added.

Besides, the lone hand-pump on the premises is located around 100 metres away from the veranda.

"We fetch four jerrycans of water every day for cooking and drinking purposes. Now, we have to negotiate pandals to get water," said Rama Devi, who along with Bhumi Devi, helps Sunita in the cooking.

Dukhiya Mahto, a rickshaw-puller seen eating dal, rice and soya bean curry on the Town Hall veranda on Thursday, said there was no space to park rickshaws anymore.

"They (organisers) have erected pandals on the ground and the space outside the campus is occupied by roadside vendors. Now, we cannot sacrifice our rickshaws, through which we earn our bread and butter, for dal-*bhat*. I believe we will have to spend Rs 10 extra daily to eat lunch at some other hotels till the fair gets over," he added.

A source claimed on an average 200 people such as Mahto had their daily lunch at Town Hall.

The book fair might force them all to look for other alternatives for the next 11 days.

Ashish Ranjan Dixit, one of the organisers, admitted that the cook had requested them to leave some space in front of the veranda.

"But we are helpless. There is not a single venue in the city where we can organise the book fair. We have been denied permission to hold the fair at Zilla School ground and Jaipal Singh Stadium. Finally, RMC chief commissioner Prashant Kumar gave us permission to hold the fair at Town Hall ground. What can we do?" Dixit asked.

e-POS Implementation Report					
Sl No	District Name	Phase Of Deployment	Machine Deployed	Currently Active HHD	No Transaction HHD
1	Ranchi	Phase 1	1907	1837	66
2	Khunti	Phase 1	421	421	12
3	Saraikella Kharsawa	Phase 1	489	489	22
4	Hazaribag	Phase 1	1228	1225	24
5	Chatra	Phase 1	803	775	14
6	Garwah	Phase 1	554	552	19
7	Pakur	Phase 1	476	476	36
8	Jamtara	Phase 1	604	604	24
9	Lohardaga	Phase 2	257	255	20
10	East Singhbhum	Phase 2	1167	1164	109
11	Simdega	Phase 2	519	519	54
12	Bokaro	Phase 2	997	997	109
13	Dhanbad	Phase 2	1479	1479	444
14	Giridih	Phase 2	1690	1688	508
15	Ramgarh	Phase 2	467	467	27
16	Koderma	Phase 2	545	535	16
17	Sahebgunj	Phase 2	622	622	112
18	Gumla	Phase 3	792	791	
19	West Singhbhum	Phase 3	747	747	
20	Palamu	Phase 3	1213	1185	
21	Latehar	Phase 3	625	621	
22	Godda	Phase 3	984	979	
23	Dumka	Phase 3	718	718	
24	Deoghar	Phase 3	1063	1063	
			20367	**20209**	**1616**

[illegible]

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

[illegible] 2013 [illegible]

समावेशन मानक (Inclusion Criteria) के आधार पर स्व घोषणा पत्र

मैं ....

पिता / पति ....

श्रेणी - सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति आयु .... आवासीय पता .... सत्यनिष्ठा के साथ घोषणा करता / करती हूँ कि -

1. मैं और मेरे परिवार के सदस्य भारत सरकार / राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद् / संस्थान / प्रक्रम / उपक्रम / अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि / नगर निगम / नगर पर्षद / नगरपालिका / न्यास इत्यादि में नियोजित / सेवानिवृत्त नहीं हैं

2. व्यक्तिगत आधार पर --
   - (i) मैं 60 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति हूँ अथवा, ☐
   - (ii) मैं विधवा या परित्यक्ता हूँ अथवा, ☐
   - (iii) मैं निःशक्त व्यक्ति हूँ एवं मेरी विकलांगता का प्रतिशत 40 या इससे अधिक है अथवा, ☐
   - (iv) मैं कैंसर / एड्स / कुष्ठ या अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति हूँ अथवा, ☐
   - (v) मैं भिखारी या गृहविहिन व्यक्ति हूँ। ☐

3. पारिवारिक आधार पर --
   - (i) कूड़ा चुनने वाला (Rag Picker) / झाड़ूकश (Sweeper) अथवा, ☐
   - (ii) निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक (Construction Worker) / राजमिस्त्री (Mason) / अकुशल श्रमिक (Unskilled Labour) / घरेलू श्रमिक (Domestic Worker) / कुली एवं सिर पर बोझ उठाने वाले अन्य श्रमिक (Coolie and other head load worker) / रिक्शाचालक (Rickshaw Puller) / ठेला चालक (Thela Puller) अथवा, ☐
   - (iii) फूटपाथी दुकानदार (Street Vendor) / फेरीवाला (Hawker) / छोटे स्थापना के अनुसेवक (Peon in Small Establishment) / सुरक्षा प्रहरी (Security Guard) / पेन्टर (Painter) / वेल्डर (Welder) / बिजली मिस्त्री (Electrician) / मैकेनिक (Mechanic) / दर्जी (Tailor) / नलसाज (Plumber) / माली (Mali) / धोबी (Washerman) / मोची (Cobbler)। ☐

[जो लागू हो उसे टिक (✓) लगा दें।]

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त सभी तथ्य तथा संलग्न परिवार की सूची मेरे ज्ञान पर आधारित है व सत्य है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त तथ्य गलत / मिथ्या पाये जाते हैं तो इसके लिये कानूनी तौर पर मैं खुद जिम्मेदार रहूँगा / रहूँगी। साथ ही मैं सरकार से अनुचित रूप से ली गई सहायता (खाद्यान्न इत्यादि) का बाजार मूल्य व इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये जुर्माने / ब्याज सहित राशि वापस लौटाने का उत्तरदायी रहूँगा / रहूँगी। भविष्य में यदि मैं या मेरा परिवार, निर्धारित मापदण्डों की सीमा से बाहर हो जाते हैं तो मैं इसकी सूचना ग्राम पंचायत / शहरी निकाय को दूँगा / दूँगी व इस योजना के अन्तर्गत आगे लाभ नहीं लूँगा / लूँगी।

स्थान : ....

दिनांक : ....

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

नोट:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार परिवार की व्यस्क महिला सदस्या, परिवार की मुखिया होंगी। परिवार में व्यस्क महिला के न होने की स्थिति में पुरुष सदस्य, परिवार का मुखिया होगा।

(संलग्न - परिवार की सूची)

पता
वार्ड सं० -
मोहल्ला
मतदान केन्द्र संख्या -
थाना

शहरी क्षेत्र

परिवार की सूची

आवेदक का नाम :
(परिवार का कोई भी सदस्य)
बैंक का नाम :
बैंक शाखा का नाम :
बैंक खाता संख्या :
आई.एफ.एस.सी. कोड :

क्र० सं०	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	महिला / पुरुष	महिला मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या	मोबाईल नंबर
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम

नोट :- 1 परिवार के प्रत्येक सदस्य जिसका आधार नं० प्रविष्ट किया गया है उसके आधार कार्ड का छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
2 परिवार के किसी एक सदस्य का आवासीय प्रमाण–पत्र अथवा आधार कार्ड/वोटर आई.डी./ड्राईविंग लाईसेंस अथवा अन्य कोई सरकारी कागजात की छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
3 व्यक्तिगत आधार पर आवेदन देने वाले व्यक्ति सिर्फ अपना नाम एवं विवरण क्रम संख्या (1) में अंकित करेंगे तथा पारिवारिक आधार पर आवेदन करने वाले व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों का नाम एवं विवरण अंकित करेंगे।

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

विषयः– सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में।

संविधान की धारा 243 (जी०) की शर्तों के अनुसार ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों पर पंचायतों को शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान किया जाना है, जो उन्हें स्वायत शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो तथा आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं को तैयार करने एवं लागू करने की शक्ति प्रदान कर सकें।

2. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 के प्रावधानों के आलोक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में कोष, कार्य और कर्मियों (Funds, Functions & Functionaries) का पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने के संबंध में विभागीय अधिसूचना 1621, दिनांक 14.05.2013 को रद्द करते हुए अग्रवत् किया जाता है–

3. **कार्य (Functions)**

I. (क) पंचायत स्तर पर जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक वस्तुओं के वितरण का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

(ख) डोर स्टेप डिलिवरी में जन वितरण प्रणाली दुकानदार से संबंधित वार्ड सदस्य/ पंचायत समिति सदस्य/ मुखिया खाद्यान्न के उतरने का सत्यापन करेंगे।

(ग) राशन कार्ड के समावेशन/अपवर्जन के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा अनुशंसा की जा सकेगी। जन वितरण प्रणाली की नई दुकान ग्राम पंचायत के अनुशंसा पर ही दी जायेगी। ग्राम पंचायतें विभिन्न खाद्यान्नों का सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति में अधिप्राप्ति एजेन्सियों को अपना सहयोग देगी।

(घ) दुकान स्तर पर गठित सतर्कता समिति जन वितरण प्रणाली दुकानों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा समुचित वितरण का अनुश्रवण तथा इससे संबंधित अन्य मामलों की समीक्षा कर संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड स्तरीय समिति को अपनी अनुशंसा भेजेगी।

II. (क) प्रखण्ड स्तर पर जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक वस्तुओं के वितरण का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण, पंचायत समिति द्वारा किया जाएगा।

(ख) डोर स्टेप डिलिवरी द्वारा खाद्यान्न का उठाव का अनुश्रवण तथा जन वितरण प्रणाली दुकान एवं अभिलेखों का निरीक्षण किया जायेगा।

(ग) अपने क्षेत्र अन्तर्गत पंचायतों द्वारा राशन कार्डों के पुनरीक्षण एवं नये कार्ड बनाने के कार्य पर पंचायत समिति निगरानी रखेगी।

(घ) पंचायत समिति अधिप्राप्ति के मामले में ग्राम पंचायतों द्वारा की गई कार्रवाई का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेगी एवं इस संबंध में इन ग्राम पंचायतों को सामान्य निर्देश जारी कर सकेगी।

(ड़) प्रखण्ड स्तर पर गठित सतर्कता समिति जन वितरण प्रणाली दुकानों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा समुचित वितरण का अनुश्रवण तथा इससे संबंधित अन्य मामलों की समीक्षा कर संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी/जिला स्तरीय सतर्कता समिति को आवश्यक कार्रवाई हेतु अपनी अनुशंसा भेजेगी।

III. (क) जिला स्तर पर जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक वस्तुओं के वितरण का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण, जिला परिषद् द्वारा किया जायेगा।

(ख) डोर स्टेप डिलिवरी द्वारा खाद्यान्न का उठाव का अनुश्रवण तथा जन वितरण प्रणाली दुकान एवं अभिलेखों का निरीक्षण किया जायेगा।

(ग) प्रखण्ड स्तर पर राशन कार्डों के पुनरीक्षण एवं नये कार्ड बनाने के कार्य का जिला परिषद् द्वारा पर्यवेक्षण एवं निगरानी की जायेगी।

(घ) जिला परिषद् अधिप्राप्ति के मामले में पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतों द्वारा की गई कार्रवाई का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेगी एवं इस संबंध में इन दोनों संस्थाओं को सामान्य निर्देश जारी कर सकेगी।

(ड.) जिला स्तर पर गठित सतर्कता समिति जन वितरण प्रणाली दुकानों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा समुचित वितरण का अनुश्रवण तथा इससे संबंधित अन्य मामलों की समीक्षा कर संबंधित उपायुक्त/राज्य स्तरीय सतर्कता समिति को आवश्यक कार्रवाई हेतु अपनी अनुशंसा भेजेगी।

4. **कार्मिक (Functionares) :-**

I. प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी पंचायत समिति की बैठकों में भाग लेंगे तथा पंचायत समिति द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

II. जिला आपूर्ति पदाधिकारी जिला परिषद् की बैठकों में भाग लेंगे तथा जिला परिषद् द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराऐंगे एवं उपर्युक्त कार्यों से संबंधित निर्देश के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

5. निर्वाचित जन प्रतिनिधियों द्वारा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं यथा मुख्यमंत्री दाल–भात योजना, खाद्यान्न वितरण योजना, किरासन तेल वितरण योजना आदि का पर्यवेक्षण किया जा सकता है।

उपरोक्त के संलेख पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 22.09.2015 की बैठक के मद संख्या–04 में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(विनय कुमार चौबे)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– खा०आ०प्र० (विविध)–05/2013 4868 /राँची, दिनांक– 07/10/2015

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड के कोषांग/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड/सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप निदेशक (खाद्य)/सभी जिला अपर दण्डाधिकारी (आपूर्ति)/सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम/सभी पदाधिकारी, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– खा०आ०प्र० (विविध)–05/2013 /राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि इस अधिसूचना को सार्वजनिक जानकारी हेतु झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में मुद्रित किया जाय। अधिसूचना को मुद्रित कर 200 प्रतियों में विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के सचिव।

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

विषयः– सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में।

संविधान की धारा 243 (जी०) की शर्तों के अनुसार ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों पर पंचायतों को शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान किया जाना है, जो उन्हें स्वायत शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो तथा आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं को तैयार करने एवं लागू करने की शक्ति प्रदान कर सकें।

2. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 के प्रावधानों के आलोक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में कोष, कार्य और कर्मियों (Funds, Functions & Functionaries) का पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने के संबंध में विभागीय अधिसूचना 1621, दिनांक 14.05.2013 को रद्द करते हुए अग्रवत् किया जाता है–

3. **कार्य (Functions)**

I. (क) पंचायत स्तर पर जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक वस्तुओं के वितरण का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

(ख) डोर स्टेप डिलिवरी में जन वितरण प्रणाली दुकानदार से संबंधित वार्ड सदस्य/ पंचायत समिति सदस्य/ मुखिया खाद्यान्न के उतरने का सत्यापन करेंगे।

(ग) राशन कार्ड के समावेशन/अपवर्जन के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा अनुशंसा की जा सकेगी। जन वितरण प्रणाली की नई दुकान ग्राम पंचायत के अनुशंसा पर ही दी जायेगी। ग्राम पंचायतें विभिन्न खाद्यान्नों का सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति में अधिप्राप्ति एजेन्सियों को अपना सहयोग देगी।

(घ) दुकान स्तर पर गठित सतर्कता समिति जन वितरण प्रणाली दुकानों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा समुचित वितरण का अनुश्रवण तथा इससे संबंधित अन्य मामलों की समीक्षा कर संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड स्तरीय समिति को अपनी अनुशंसा भेजेगी।

II. (क) प्रखण्ड स्तर पर जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक वस्तुओं के वितरण का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण, पंचायत समिति द्वारा किया जाएगा।

(ख) डोर स्टेप डिलिवरी द्वारा खाद्यान्न का उठाव का अनुश्रवण तथा जन वितरण प्रणाली दुकान एवं अभिलेखों का निरीक्षण किया जायेगा।

(ग) अपने क्षेत्र अन्तर्गत पंचायतों द्वारा राशन कार्डो के पुनरीक्षण एवं नये कार्ड बनाने के कार्य पर पंचायत समिति निगरानी रखेगी।

(घ) पंचायत समिति अधिप्राप्ति के मामले में ग्राम पंचायतों द्वारा की गई कार्रवाई का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेगी एवं इस संबंध में इन ग्राम पंचायतों को सामान्य निर्देश जारी कर सकेगी।

(ड़) प्रखण्ड स्तर पर गठित सतर्कता समिति जन वितरण प्रणाली दुकानों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा समुचित वितरण का अनुश्रवण तथा इससे संबंधित अन्य मामलों की समीक्षा कर संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी/जिला स्तरीय सतर्कता समिति को आवश्यक कार्रवाई हेतु अपनी अनुशंसा भेजेगी।

III. (क) जिला स्तर पर जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक वस्तुओं के वितरण का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण, जिला परिषद् द्वारा किया जायेगा।

(ख) डोर स्टेप डिलिवरी द्वारा खाद्यान्न का उठाव का अनुश्रवण तथा जन वितरण प्रणाली दुकान एवं अभिलेखों का निरीक्षण किया जायेगा।

(ग) प्रखण्ड स्तर पर राशन कार्डों के पुनरीक्षण एवं नये कार्ड बनाने के कार्य का जिला परिषद् द्वारा पर्यवेक्षण एवं निगरानी की जायेगी।

(घ) जिला परिषद् अधिप्राप्ति के मामले में पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतों द्वारा की गई कार्रवाई का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेगी एवं इस संबंध में इन दोनों संस्थाओं को सामान्य निर्देश जारी कर सकेगी।

(ड.) जिला स्तर पर गठित सतर्कता समिति जन वितरण प्रणाली दुकानों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा समुचित वितरण का अनुश्रवण तथा इससे संबंधित अन्य मामलों की समीक्षा कर संबंधित उपायुक्त/राज्य स्तरीय सतर्कता समिति को आवश्यक कार्रवाई हेतु अपनी अनुशंसा भेजेगी।

4. **कार्मिक (Functionares) :-**

I. प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी पंचायत समिति की बैठकों में भाग लेंगे तथा पंचायत समिति द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

II. जिला आपूर्ति पदाधिकारी जिला परिषद् की बैठकों में भाग लेंगे तथा जिला परिषद् द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराऐंगे एवं उपर्युक्त कार्यों से संबंधित निर्देश के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

5. निर्वाचित जन प्रतिनिधियों द्वारा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं यथा मुख्यमंत्री दाल-भात योजना, खाद्यान्न वितरण योजना, किरासन तेल वितरण योजना आदि का पर्यवेक्षण किया जा सकता है।

उपरोक्त के संलेख पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 22.09.2015 की बैठक के मद संख्या-04 में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(विनय कुमार चौबे)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- खा0आ0प्र0 (विविध)-05/2013 4868 /राँची, दिनांक- 07/10/2015

प्रतिलिपि-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड के कोषांग/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड/सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप निदेशक (खाद्य)/सभी जिला अपर दण्डाधिकारी (आपूर्ति)/सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम/सभी पदाधिकारी, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- खा0आ0प्र0 (विविध)-05/2013 /राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस अधिसूचना को सार्वजनिक जानकारी हेतु झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में मुद्रित किया जाय। अधिसूचना को मुद्रित कर 200 प्रतियों में विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के सचिव।